

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर
कमांक/रीडर/2025/494

दिनांक 10.7.2025

तहसीलदार राजस्व
रावतसर

मुकदमा संख्या : 38/2025 प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति

अनवान मुकदमा :-

जयतुन पत्नी बनवारीखां जाति छीपा (छीपी) साकिन लखुवाली हेड तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थीया

बनाम

1. गोपीराम पुत्र ठाकरराम जाति ब्राहमण साकिन धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. लीलाधर पुत्र ठाकरराम जाति ब्राहमण साकिन धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति पर दिनांक 9.07.2025 को निर्णय करते हुये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अप्रार्थी सं. 1 व 2 की भूमि चक 4 सी.एल.डी. के प.नं. 34/47(47) के किला नं. 6 की 0.020 है. उतरी पासा की पूर्व से पश्चिम भूमि को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा रास्ता में आई भूमि के बदले में प्रार्थीया की भूमि चक 4 सी.एल.डी. के प. नं. 34/47(47) के किला नं. 7 की पुर्वी सिंव पर उतरी दिशा की 13 फुट छोडकर के 0.019 है. उतर दक्षिण लम्बाई में व किला नम्बर 14 की पुर्वी सिंव पर 0.021 है0 भूमि उतर दक्षिण लम्बाई की भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः आप इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को अन्दर 7 दिवस में पेश करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

